आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

8.4.22

नामांतरण अपील वाद सं0 12/2015–16

धमेन्द्र राम प्रति सत्येन्द्र कुमार सिंह वगैरह

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं0 47/2015–16 में दिनांक 04.07.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया। तद्नुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी रमना से मूल अभिलेख की मांग की गयी। उभय पक्ष के द्वारा अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर एवं कागजात दाखिल किया गया। अंचल से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने केवाला सं0 626 दिनांक 25.04.2015ई0 को अंचल रमना मौजा बगौंध उर्फ रमना खाता सं0 2 प्लौट सं0 658 रकबा 1.00 डीसमील तथा केवाला सं0 627 दिनांक 25.04.2015ई0 को ही अंचल रमना मौजा बगौंध उर्फ रमना खाता सं0 2 प्लौट सं0 658 रकबा 1.00 डीसमील कुल रकबा 2.00 डीसमील भूमि ओम प्रकाश सिंह पिता राजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+थाना रमना से उचित जरसम्मन देकर क्रय किया एव दखल कब्जा में है। अपीलार्थी ने दोनों केवाला को दाखिल खारिज करने हेतु अंचल रमना में आवेदन पत्र दिया जिस पर विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 47/2015–16 में दिनांक 04.07.2015 को आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि का कुल रकबा 10डीसमील भूमि सहित अन्य भूमि का मांग निधार्रण ए0 आर0 केश नं0 9/1956–57 द्वारा राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता महेश्वर सिंह ग्राम रमना के नाम से हुआ हैं। राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने प्रश्नगत प्लौट की रकबा 10डीसमील भूमि सहित अन्य प्लौट की बिक्री अपीलार्थी के बिक्रेता ओम प्रकाश सिंह को कर दी एवं सभी भूमि पर दखल कब्जा अपीलार्थी के बिक्रेता को सौंप दिया। अपीलार्थी के बिक्रेता ओम प्रकाश सिंह को प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाकर उक्त भूमि का दाखिल खारिज ओम प्रकाश सिंह के नाम से हो गया है। अपीलार्थी के दाखिल खारिज का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया जबकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है। अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए नामांतरण वाद सं0 47/2015–16 दिनांक 04.07.2015 को अपास्त किया जाय तथा अपीलार्थी के नाम से नामांतरण करने का आदेश दिया जाय। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

1. *एम रौल की छायाप्रति* ..... *5 फर्द*
2. *केवाला सं0 2550 की छायाप्रति* ..... *7 फर्द*
3. *ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति* ..... *1 फर्द*
4. *केवाला सं0 626 वो केवाला सं0 827 की छायाप्रति* ..... *11 फर्द*

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन है कि प्रश्नगत् भूमि नामांतरण करने हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमें आपतिकर्ता द्वारा इस वाद में आपति पत्र दायर किया गया है। जो इस प्रकार है। अंचल रमना मौजा बगाँधा उर्फ रमना के खाता सं0 2 प्लौट सं0 658 का कुल खतियानी रकबा 92डीसमील भूमि है। इस मे से राजेन्द्र प्रसाद सिंह एक हिस्सेदार को जो उनके हिस्से की जमीन थी वह कुल जमीन 12.50डीसमील सहादेव साहू को वर्ष 1956 में बिक्री कर दिये थे। उक्त बिक्री के बाद राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बंटवारा वाद सं0 29/1972 दायर किया जो सबजज गढ़वा के न्यायालय में लम्बित है। उक्त बंटवारा वाद में हिस्सेदारों का तख्ता प्लौट नं0 658 में कोई भी जमीन का हिस्सा तख्ता नहीं बना और न उनके किसी हिस्सेदार ने उक्त बंटवारा वाद में 658 प्लौट की जमीन के लिए कोई दावी किया जबकि फाईनल पार्टिशन 2006 में हो चुका है। आपतिकर्त्ता बंटवारा वाद सं0 29/1972 का हिस्सेदार है और उनके लिए तख्ता लगा और तदनुसार आपतिकर्त्ता सं 0 1 तथा 2 को क्रमशः 5डी0, 7डी0 जमीन तख्ता में दिया गया जबकि राजस्व विभाग के अभिलेख में माल निर्धारण वाद के द्वारा प्रार्थी/आपतिकर्त्ता सं0 1 के पिता एवं आपतिकर्त्ता सं0 2 के दादा के नाम से 12डीसमील जमीन का माल निर्धारण हुआ है। राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने वर्ष 1956 के उक्त प्लौट कि अपनी जमीन बिक्री करने में दक्षिण चौहदी में प्रार्थी/आपतिकर्त्ता सं0 1 के पिता के नाम कब्जे कि भूमि दिखलाया है वास्तव में प्रार्थी/आपतिकर्त्ता सं0 2 के पिता जो बंटवारा वाद सं0 29/1972 का प्रतिवादी सं0 16 है, और प्रार्थी/ आपतिकर्त्ता सं0 1 बंटवारा वाद सं0 19/1972 में प्रतिवादी सं0 17 है। अपने तख्ते की जमीन के हक दखल कब्जे में लगातार चला आ रहा है। रिविजन सर्वे में उक्त भूमि के लिए खतियान प्रार्थी नं0 1 के पिता के नाम से दर्ज हुआ है। जिसका विरोध भी नहीं है। राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं उनके वारिसान के उक्त प्लौट सं0 658 में कोई भी टुकड़ा जमीन उनके हिस्से की नहीं बची इसलिए उनके तख्ते में जमीन दर्ज नहीं हुआ है। राजेन्द्र प्रसाद सिंह के मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान उनके एक मात्र पुत्र ओम प्रकाश सिंह एवं एक मात्र पुत्री मनोरमा देवी है। ओम प्रकाश सिंह ने धर्मेन्द्र राम से दो केवाला से 2डीसमील भूमि बिक्री किया है। तथा सहदेव साह से वर्ष 1956 के बिक्रीनामा में के क्रेता एवं वर्तमान केवाला सं0 827 के केवाला में प्रार्थी/आपतिकर्त्ता के पिता एवं भाई को चौहदी में दिखलाया है और गलत रूप से अपना नाम बिक्रीनामा के जमीन की चौहदी में दर्ज कराया है। उक्त दोनों बिक्रीनामा धर्मेन्द्र राम के पक्ष में केवाला है वो वेअसर है चूँकि बिक्रेता की वह जमीन नहीं है, उक्त जमीन प्रार्थी/आपतिकर्त्ता के हिस्से तख्ते एवं हक दखल कब्जा की प्लौट सं0 658 की जमीन का टुकड़ा है जिस पर आपतिकर्त्ता का घर मकान व दुकान वो गुमटी वर्षो से अवस्थित है एवं उसके दखल कब्जे में है। लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

बंटवारा वाद की अगली कार्यवाई अन्य प्रतिवादियों के लिए लम्बित है विक्रेता ओम प्रकाश सिंह को प्लौट सं0 658 में कोई भी भूमि पर हक दखल कब्जा नही है। बिक्रीनामा शून्य एवं बेअसर है। और नाजायज दावी करने के लिए सहयोगी के नाम में बिना मूल्य के दोनों बिक्रीनामा किया है। उक्त जमीन प्रार्थी/आपतिकर्त्ता की है राजस्व अभिलेख में प्रार्थी/आपतिकर्त्ता के पिता के नाम 658 प्लौट के 12डीसमील जमीन का माल निर्धारण हुआ है और डिमाण्ड चल रहा है ओम प्रकाश सिंह को 658 प्लौट में कोई भूमि नहीं है और बिक्रीनामा नजायज है। उक्त बिक्रीनामा के आधार पर धर्मेन्द्र राम क्रेता भूमि के दखल कब्जे में नही आया है इसलिए दोनों बिक्रीनामा की जमीन प्लौट सं0 658 की जमीन का दाखिल खारिज करना अनुचित अवैधानिक होगा। आपतिकर्त्ता/विपक्षी ने धर्मेन्द्र राम के विरूद्व थाना रमना में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है जिसका रमना थाना का कांड सं0 68/2015 दिनांक 04.06.2015 है उक्त कांड का अनुसंधान जारी है। इस वाद में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 150/8 पर ओम प्रकाश सिंह का मांग चलता है तथा आवेदक धर्मेन्द्र राम का वर्तमान में भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। जबकि दाखिल खारिज के वाद में दखल कब्जा मुख्य बिन्दु होता है, यह विधि का स्थापित नियम है एवं सरकार का निर्देश भी है। अपीलार्थीगण का अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाय। प्रत्यर्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

1. *रिर्टन वाद सं0 129/1960–61 की छायाप्रति ..... 2 फर्द*
2. *एम सौल वाद सं0 17/1956–57 की छायाप्रति ..... 3 फर्द*
3. *नया सर्वे का बंडा पर्चा व खतियान की छायाप्रति ..... 2 फर्द*
4. *ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति ..... 1 फर्द*
5. *सिलिंग वाद सं0 2/1977–78 की छायाप्रति ..... 4 फर्द*
6. *नया व पुराना नक्शा का फोटो की छायाप्रति ..... 2 फर्द*
7. *बंटवारानामा 29/1972 की छायाप्रति ..... 4 फर्द*
8. *सत्येन्द्र कुमार सिंह मुदालय नं0 17 की प्रति ..... 2 फर्द*
9. *सुरेन्द्र कुमार सिंह मुदालय नं0 16 की प्रति ..... 2 फर्द*
10. *केवाला सं0 1884 की छायाप्रति ..... 7 फर्द*
11. *आपसी पंचायती बंटवारा की प्रति ..... 5 फर्द*
12. *पंचनामा की फोटो प्रति ..... 3 फर्द*
13. *नामांतरण वाद सं0 47/2015–16 की प्रति ..... 7 फर्द*
14. *केवाला सं0 2550 की छायाप्रति ..... 7 फर्द*
15. *एम सौल वाद सं0 9/1956–57 की प्रति ..... 5 फर्द*
16. *केवाला सं0 1208 की छायाप्रति ..... 8 फर्द*
17. *बंटवारानामा वर्ष 1990ई0 की प्रति ..... 5 फर्द*

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल लिखित बहस, प्रतिउत्तर, साक्ष्य, कागजातों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि अंचल रमना मौजा बगौंधा उर्फ रमना के गत सर्वे के खाता सं0 2 प्लौट सं0 658 का कुल खतियानी रकबा 92 डीसमील भूमि है। जो बकास्त खाता की भूमि है। जो बाबु डमर नाथ सिंह वगैरह के नाम से अंकित है। कुल रकबा 92डीसमील भूमि में से रकबा 12डीसमील भूमि खतियानी जमीन्दार के वंशज पारसनाथ सिंह सुरेन्द्र कुमार सिंह सत्येन्द्र कुमार सिंह के पिता स्व0 रामपरीखा सिंह को एम रौल ए0आर केश नं0 17/1956–57 से प्राप्त है, एवं राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता महेश्वर सिंह को एम रौल ए0 आर0 केश नं0 9/1956–57 से रकबा 10डीसमील भूमि प्राप्त है। राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने केवाला सं0 1884 दिनांक 16.05.1956 से क्रेता सहादेव साह को रकबा 12.50डीसमील भूमि बिक्री कर दिये हैं, जो एम रोल के अनुसार राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा भूमि रकवा से अधिक बिक्री किया गया है। इसके बाद भी अपने पुत्र ओम प्रकाश सिंह के नाम से 10 डीसमील भूमि बिक्री किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इनके पास भूमि का रकवा शेष नहीं रह गया, चूँकि ए0 आर0 केश से रकवा 10 डीसमील ही भूमि प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रमना द्वारा नामांतरण वाद संख्या 47/2015–16 में दिनांक 04.07.2015 को पारित आदेश में स्पष्ट दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।

अतः अपीलार्थी का आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद संख्या 47/2015–16 में पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रमना को अनुपालनार्थ हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

08/IV

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

08/IV

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.15 10:59:56 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner